

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 665 / 10

संस्थित दि.: 06 / 09 / 10

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

श्यामदेव उर्फ गब्बूसिंह पिता देवसिंह, उम्र 32 साल, जाति गोंड,

निवासी घोड़ादेही थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 08 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 31 / 07 / 2010 को समय 17:00 बजे ग्राम भीकेवाड़ा के आगे आरक्षित केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत चंदना लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50—ए.0247 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रेक्टर में बैठे रविचंद को गिराकर ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 22 / 10 की जांच एवं रविचंद के कथन के आधार पर पाया गया कि आरोपी गब्बू उइके ने दिनांक 31.07.2010 को शाम के 05:00 बजे भीकेवाड़ा लोकमार्ग पर ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर ट्राली में से रविचंद को गिरा दिया, जिससे रविचंद की उपचार उपरांत मृत्यु हो गई। आरोपी श्यामदेव उर्फ गब्बूसिंह के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर अपराध क्रमांक 41 / 10 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184, 3 / 181 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, बीमा लेने के लिये फरियादी ने पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है एवं असत्य कथन किये हैं ।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक दिनांक 31/07/2010 को समय 17:00 बजे ग्राम भीकेवाड़ा के आगे आरक्षित केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत चंदना लोकमार्ग पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50-ए. 0247 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रैक्टर में बैठे रविचंद को गिराकर ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

(06) अभियोजन साक्षी एम.एल.बंशकर (अ.सा. 11) का कहना है कि उसने दिनांक 11.08.2010 को थाना परसवाड़ा में फरियादी अर्जुनलाल की सूचना पर मृतक रविचंद की ट्रैक्टर से गिरने के कारण मृत्यु होने के संबंध में मर्ग क्रमांक 22/10 कायम किया था, जो प्रदर्श पी-11 है ।

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता कप्तानसिंह उइके (अ.सा. 9) का कहना है कि दिनांक 07.08.2010 को अस्पताल तहरीर की जांच विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने मौके पर जाकर रविचंद गोंड के कथन एवं दिनांक 11.08.2010 को साक्षी परसराम गोंड के कथन के आधार पर आरोपी गब्बू पिता देवसिंह ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 41/10 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-07 है । घटनास्थल पर जाकर मदनलाल मरावी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-01 है । मर्ग क्रमांक 22/10 के अन्तर्गत मृतक रविचंद की मृत्यु के संबंध में पंचायतनामा तैयार

कर गवाहों को समंस जारी किये थे, जो प्रदर्श पी-06 है। मृतक की मृत्यु का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसने नक्शा पंचायतनामा तैयार कर मृतक रविचंद के शव को परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा था, जो प्रदर्श पी-05 है। दिनांक 31.08.2010 को आरोपी श्यामदेव उइके से एक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50-एम.0246 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50-ए.0467 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। साक्षी रविचंद, मदनलाल, अर्जुन मरावी, कमलेश, रामप्यारी, समारूलाल, परसराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(08) अभियोजन साक्षी डॉक्टर विजय गांधी (अ.सा. 10) का कहना कि दिनांक 02.08.2010 को रविचंद को ट्रेक्टर की ट्राली से गिरने से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट ओ.पी.डी में भर्ती किया था, जिसकी पर्ची प्रदर्श पी-07 है और बेडहेड टिकिट प्रदर्श पी-06 है। आहत की मृत्यु की सूचना पुलिस चौकी बालाघाट को दी थी, जिसकी तहरीर प्रदर्श पी-09 है। आहत की जांघ पर कटा हुआ घाव होना पाया था तथा आहत कुल्हे पर दर्द होने की शिकायत कर रहा था। आहत को भर्ती कर हड्डी विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी थी, उसके द्वारा तैयार की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(09) अभियोजन साक्षी डॉ.अवधेश गौर (अ.सा. 7) एवं साक्षी डॉ.आर.के.नकरा (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 12.08.2010 को मृतक के शव के बाह्य परीक्षण में दाहिनी कोहनी के बाहरी एवं पिछले भाग पर एक पुरानी चोट, एक पुराना घाव दाहिनी कोहनी एवं बांयी कोहनी के जोड़ पर, एक घाव दाहिनी जांघ के उपरी भाग पर एवं एक घाव कुल्हे के बांयी तरफ सामने की ओर होना पाया था तथा मृतक के शव के आन्तिक परीक्षण में पर्दा, पसली, कोमलस्थ, फुफ्फुस, कंठ व श्वास नली, पेरिआन पकर्सियम, वृहद वाहिका, पर्दा, आंतों की झिल्ली, ग्रासनली कंजस्टेड थे तथा दाहिना व बांया फेफड़ा कंजस्टेड एवं सूजा हुआ, हृदय का बांया चेम्बर खाली, दाहिने चेम्बर में रक्त भरा हुआ, पेट और उसके भीतर की वस्तुएं खाली, छोटी और बड़ी आंत मकें फीकल मटेरियल, यकृत, गुर्दा, प्लीहा, कंजस्टेड, मूत्राशय खाली, जननेन्द्रिया सामान्य, कुल्हे की सामने की हड्डी पर फ्रेक्चर होना पाया था। मृतक की मृत्यु इन्फेशन (सेप्टिशिनिया) के कारण हुई थी। तैयार की गई मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श

पी-05 है।

(10) किन्तु अभियोजन साक्षी मदनलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो ढाई वर्ष पुरानी है। वह ट्रेक्टर से मृतक बिरजलाल का पोस्टमार्टम कराकर परसवाड़ा से घोड़ादेही आ रहे थे। रास्ते में भीकेवाड़ा के गांव के बाहर रोड पर आरोपी वाहन को सामान्य गति से चला रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक को साईड देने के कारण ट्रेक्टर का बैलेस बिगड़ गया और उसका भाई रविचंद ट्रेक्टर से गिर गया। रविचंद को ईलाज हेतु बालाघाट लेकर आये थे। रविचंद बालाघाट अस्पताल में ठीक नहीं हो पाउंगा कहकर गाड़ी बनाकर घर आ गये और वह घर में आने के दो दिन बाद खत्म हो गया। पुलिस ने उसके सामने मौका नक्शा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी परसराम (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना दिनांक को वह ट्रेक्टर में था। ट्रेक्टर में बिरजलाल का शव परीक्षण कराकर लौट रहे थे। सामने से ट्रक आ रहा था, जिसको आरोपी द्वारा साईड दिया गया तब उसमें बैठे रविचंद का संतुलन बिगड़ने से ट्रेक्टर से गिर गया, जिससे उसे कमर के नीचले भाग में चोट आई। रविचंद का ईलाज बालाघाट में चल रहा था। रविचंद स्वयं बालाघाट अस्पताल में उचित ईलाज हेतु उपस्थित नहीं हो रहा था। घर आने के दो दिन बाद रविचंद खत्म हो गया। ट्रेक्टर सामान्य गति से चल रहा था न ज्यादा तेज और न ज्यादा कम। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से नहीं चला रहा था। दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई।

(11) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अर्जुन (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। गांव के उसके चाचा ने उसे बताया कि पिता जी का ट्रेक्टर से एक्सीडेंट हो गया है और आरोपी ट्रेक्टर चला रहा था। पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा पंचायतनामा बनाये थे, जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसके चाचाजी ने उसे यह भी बताया कि आरोपी तेजगति से ट्रेक्टर को चला रहा था, जिस कारण एक्सीडेंट हुआ। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई उसे जानकारी नहीं है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कमलेश (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी बतसात के समय की ग्राम लोहारीटोला की है।



रविशंकर को जब बालाघाट ले जा रहे थे तो रविशंकर ने उसे बताया कि खेत जुताई करने ट्रैक्टर को जे जा रहा था, खेत जुताई करके निकल रहा था। उस समय ट्रैक्टर के ड्रायवर आरोपी ने छटके से ट्रैक्टर को चलाया, तब रविशंकर ने ढंग से ट्रैक्टर में हाथ नहीं पकड़ा तो वह नीचे गिर गया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह मौजूद नहीं था। घटना किसकी लापरवाही से हुई उसे जानकारी नहीं है।

(12) अभियोजन साक्षी सम्हारूलाल (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी ग्राम घोड़ादेही की है। वह लोग बिरजलाल के शव का शव परीक्षण कराकर ट्रैक्टर में आ रहे थे। ट्रैक्टर को आरोपी चला रहा था। आरोपी ट्रैक्टर को सामान्य गति से चला रहा था, जब चट्टा गाड़ी वाले को साईड दिया थोड़ासा मेन रोड में ले गया तब ही ट्रैक्टर से रविचंद गिर गया। रविचंद को उठाकर उसके घर ले गये। रविचंद स्वयं अपनी गलती से ट्रैक्टर से गिरा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी वाहन धीरे चला रहा था। दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दिलवरसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि दुर्घटना में बिरजलाल के पी.एम. में आया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से ट्रैक्टर ट्राली मय कागजात के जप्त नहीं किये थे। उसने परसवाड़ा थाना में जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन होने से अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी एम.एल.बंशकर (अ.सा. 11) का कहना है कि उसने दिनांक 11.08.2010 को थाना परसवाड़ा में फरियादी अर्जुनलाल की सूचना पर मृतक रविचंद की ट्रैक्टर से गिरने के कारण मृत्यु होने के संबंध में मर्ग क्रमांक 22/10 कायम

किया था, जो प्रदर्श पी-11 है।

(16) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता कप्तानसिंह उइके (अ.सा. 9) का कहना है कि दिनांक 07.08.2010 को अस्पताल तहरीर की जांच विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने मौके पर जाकर रविचंद गोंड के कथन एवं दिनांक 11.08.2010 को साक्षी परसराम गोंड के कथन के आधार पर आरोपी गब्बू पिता देवसिंह ट्रेक्टर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 41/10 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-07 है। घटनास्थल पर जाकर मदनलाल मरावी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-01 है। मर्ग क्रमांक 22/10 के अन्तर्गत मृतक रविचंद की मृत्यु के संबंध में पंचायतनामा तैयार कर गवाहों को समंस जारी किये थे, जो प्रदर्श पी-06 है। मृतक की मृत्यु का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसने नक्शा पंचायतनामा तैयार कर मृतक रविचंद के शव को परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा था, जो प्रदर्श पी-05 है। दिनांक 31.08.2010 को आरोपी श्यामदेव उइके से एक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50-एम.0246 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50-ए.0467 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। साक्षी रविचंद, मदनलाल, अर्जुन मरावी, कमलेश, रामप्यारी, समारूलाल, परसराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(17) अभियोजन साक्षी डॉक्टर विजय गांधी (अ.सा. 10) का कहना कि दिनांक 02.08.2010 को रविचंद को ट्रेक्टर की ट्राली से गिरने से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट ओ.पी.डी में भर्ती किया था, जिसकी पर्ची प्रदर्श पी-07 है और बेडहेड टिकिट प्रदर्श पी-06 है। आहत की मृत्यु की सूचना पुलिस चौकी बालाघाट को दी थी, जिसकी तहरीर प्रदर्श पी-09 है। आहत की जांच पर कट्टा हुआ घाव होना पाया था तथा आहत कुल्हे पर दर्द होने की शिकायत कर रहा था। आहत को भर्ती कर हड्डी विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी थी, उसके द्वारा तैयार की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(18) अभियोजन साक्षी डॉ.अवधेश गौर (अ.सा. 7) एवं साक्षी डॉ.आर.के.नकरा (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 12.08.2010 को मृतक के शव के बाह्य परीक्षण में दाहिनी कोहनी के बाहरी एवं पिछले भाग पर एक पुरानी चोट, एक पुराना घाव दाहिनी

कोहनी एवं बांयी कोहनी के जोड़ पर, एक घाव दाहिनी जांघ के उपरी भाग पर एवं एक घाव कुल्हे के बांयी तरफ सामने की ओर होना पाया था तथा मृतक के शव के आन्तिक परीक्षण में पर्दा, पसली, कोमलस्थ, फुफ्फुस, कंठ व श्वास नली, पेरिआन पकर्सियम, वृहद वाहिका, पर्दा, आंतों की झिल्ली, ग्रासनली कंजस्टेड थे तथा दाहिना व बांया फेफड़ा कंजस्टेड एवं सूजा हुआ, हृदय का बांया चेम्बर खाली, दाहिने चेम्बर में रक्त भरा हुआ, पेट और उसके भीतर की वस्तुएं खाली, छोटी और बड़ी आंत मकें फीकल मटेरियल, यकृत, गुर्दा, प्लीहा, कंजस्टेड, मूत्राशय खाली, जननेन्द्रिया सामान्य, कुल्हे की सामने की हड्डी पर फेक्चर होना पाया था। मृतक की मृत्यु इन्फेशन (सेप्टिशिनिया) के कारण हुई थी। तैयार की गई मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(19) किन्तु अभियोजन साक्षी मदनलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो ढाई वर्ष पुरानी है। वह ट्रेक्टर से मृतक बिरजलाल का पोस्टमार्टम कराकर परसवाड़ा से घोड़ादेही आ रहे थे। रास्ते में भीकेवाड़ा के गांव के बाहर रोड पर आरोपी वाहन को सामान्य गति से चला रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक को साईड देने के कारण ट्रेक्टर का बैलेस बिगड़ गया और उसका भाई रविचंद ट्रेक्टर से गिर गया। रविचंद को ईलाज हेतु बालाघाट लेकर आये थे। रविचंद बालाघाट अस्पताल में ठीक नहीं हो पाउंगा कहकर गाड़ी बनाकर घर आ गये और वह घर में आने के दो दिन बाद खत्म हो गया। पुलिस ने उसके सामने मौका नक्शा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी परसराम (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना दिनांक को वह ट्रेक्टर में था। ट्रेक्टर में बिरजलाल का शव परीक्षण कराकर लौट रहे थे। सामने से ट्रक आ रहा था, जिसको आरोपी द्वारा साईड दिया गया तब उसमें बैठे रविचंद का संतुलन बिगड़ने से ट्रेक्टर से गिर गया, जिससे उसे कमर के नीचले भाग में चोट आई। रविचंद का ईलाज बालाघाट में चल रहा था। रविचंद स्वयं बालाघाट अस्पताल में उचित ईलाज हेतु उपस्थित नहीं हो रहा था। घर आने के दो दिन बाद रविचंद खत्म हो गया। ट्रेक्टर सामान्य गति से चल रहा था न ज्यादा तेज और न ज्यादा कम। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से नहीं चला रहा था। दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई।

(20) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अर्जुन (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। गांव के उसके चाचा ने उसे बताया कि पिता जी का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है और आरोपी ट्रैक्टर चला रहा था। पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा पंचायतनामा बनाये थे, जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसके चाचाजी ने उसे यह भी बताया कि आरोपी तेजगति से ट्रैक्टर को चला रहा था, जिस कारण एक्सीडेंट हुआ। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई उसे जानकारी नहीं है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कमलेश (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी बतसात के समय की ग्राम लोहारीटोला की है। रविशंकर को जब बालाघाट ले जा रहे थे तो रविशंकर ने उसे बताया कि खेत जुताई करने ट्रैक्टर को जे जा रहा था, खेत जुताई करके निकल रहा था। उस समय ट्रैक्टर के ड्रायवर आरोपी ने छटके से ट्रैक्टर को चलाया, तब रविशंकर ने ढंग से ट्रैक्टर में हाथ नहीं पकड़ा तो वह नीचे गिर गया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह मौजूद नहीं था। घटना किसकी लापरवाही से हुई उसे जानकारी नहीं है।

(21) अभियोजन साक्षी सम्हारूलाल (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी ग्राम घोड़ादेही की है। वह लोग बिरजलाल के शव का शव परीक्षण कराकर ट्रैक्टर में आ रहे थे। ट्रैक्टर को आरोपी चला रहा था। आरोपी ट्रैक्टर को सामान्य गति से चला रहा था, जब चट्टा गाड़ी वाले को साईड दिया थोड़ासा मेन रोड में ले गया तब ही ट्रैक्टर से रविचंद गिर गया। रविचंद को उठाकर उसके घर ले गये। रविचंद स्वयं अपनी गलती से ट्रैक्टर से गिरा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी वाहन धीरे चला रहा था। दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दिलवरसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि दुर्घटना में बिरजलाल के पी.एम. में आया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से ट्रैक्टर ट्राली मय कागजात के जप्त नहीं किये थे। उसने परसवाड़ा थाना में जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था।

(22) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी कायमीकर्ता, विवेचनाकर्ता एवं मेडिकल



परीक्षण रिपोर्ट से मृतक रविचंद की मृत्यु एक्सीडेंट से होना तो परिलक्षित होता है। किन्तु आरोपी ने दिनांक 31/07/2010 को समय 17:00 बजे ग्राम भीकेवाड़ा के आगे आरक्षित केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत चंदना लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50-ए.0247 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रेक्टर में बैठे रविचंद को गिराकर ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। ऐसी साक्ष्य का सर्वथा अभाव है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमीकर्ता, विवेचनाकर्ता के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी मदनलाल (अ.सा. 1), परसराम (अ.सा. 2), अर्जुन (अ.सा. 3), कमलेश (अ.सा. 4), दिलवरसिंह (अ.सा. 5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है कि आरोपी द्वारा दिनांक 31/07/2010 को समय 17:00 बजे ग्राम भीकेवाड़ा के आगे आरक्षित केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत चंदना लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50-ए.0247 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रेक्टर में बैठे रविचंद को गिराकर ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(23) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 31/07/2010 को समय 17:00 बजे ग्राम भीकेवाड़ा के आगे आरक्षित केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत चंदना लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50-ए.0247 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रेक्टर में बैठे रविचंद को गिराकर ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(24) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

(25) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(26) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50-ए.0247 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50-ए.0246 तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है।

सुपुर्पदगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)